



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1992/आषाढ़ 8, 1914
No. 418] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1992/ASADHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रधिनृचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1992

का.भा. 482(घ) :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन) (बी सी उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 में--

(1) पहली अनुसूची में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा,

(2) दूसरी अनुसूची में--

(क) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के नीचे--

(i) उप शीर्षक "ग. कला शिक्षा" और उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा,

(ii) उप शीर्षक "घ. संगति विज्ञान" के नीचे क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा. अर्थात् :-

"50. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई जी एन सी ए)

51. राष्ट्रीय नाट्यगृह",

(ख) "खान मंत्रालय" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :-

"1. (i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खातों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिये विधायन जिसके अन्तर्गत महाद्वीपीय अन्तर्गत भूमि के राज्यश्रेणीय सागरखण्ड के भीतर या भारत का अन्त्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिश्चित किया जाये, समुद्र अन्वेषण खातों और खनिज भी हैं।

(ii) कोयला, लिग्नाइट, और मरुभूमि खनिज तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजनों के लिये विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खातों का विनियमन और खनिजों का विकास जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसद या उसके अनुवर्गिक मामले भी हैं।"

(रामस्वामी चेंकटरामन)
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/10/92-मंत्रि.]
संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1992

S.O. 482(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and nineteenth Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 ---

(1) in the First Schedule, against serial number 16 relating to MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSA-DHAN VIKAS MANTRALAYA), item (iii) and the entry relating thereto shall be omitted ;

(2) in the Second Schedule, ---

(a) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSA-DHAN VIKAS MANTRALAYA)", ---

(i) sub-heading "C. DEPARTMENT OF ARTS (KALA VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted ;

(ii) under sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRIT VIBHAG)", after serial number 49 and the entry relating thereto, the following shall be added, namely :—

"50. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).

51. National Theatre."

(b) under the heading "MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)", for serial number 1 and entry relating thereto the following entry shall be substituted, namely :—

"1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial water of the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified from time to time by or under any law made by Parliament.

(ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including question concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto."

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

[No. 74/2/10/92-Cab.]
SANJIV MISRA, Jt. Secy.

